संoसंo–1/पoकॉo–03/2017– 109(1)स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना मेडिकल कॉलेज,
पटना।

पटना, दिनांक– 19/03/2018

विषयः– **पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल रू0 3,39,000/– (रुपये तीन लाख उन्चालिस हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के पत्रांक–1138, दिनांक–12.03.2018 के आलोक में पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 0001.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में रू0 3,39,000/– (रुपये तीन लाख उन्चालिस हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरुपेण प्रदान की जाती है–

विषय शीर्ष	कुल बजट उपबंध	पूर्व का कुल संयुक्त आवंटन	प0मे0कॉ0 को पूर्व का आवंटन	प0मे0कॉ0 को वर्तमान आवंटन	प0मे0कॉ0 को कुल आवंटन	अद्यतन कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
0001.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3500000	1750000	1400000	339000	1739000	2089000	1411000
कुल–	**3500000**	**1750000**	**1400000**	**339000**	**1739000**	**2089000**	**1411000**

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक 08.04.08 एवं 3388/वि0(2) दिनांक 18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0001–पटना मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड–20–2210051050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्रमशः

6. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

7. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

8. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

9. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प0कॉ0–03/2017–109(1)वि /स्वा0, पटना, दिनांक– 19/03/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव